

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क. :- 902/2007)
(संस्थित दिनांक :- 31/12/07)

म.प्र.राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र - गोहद
जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रामलखन सिंह पुत्र आशाराम सिंह गुर्जर, उम्र 50 वर्ष।
निवासी :- रते का पुरा, थाना-एण्डोरी, जिला भिण्ड (म.प्र.),
हाल निवासी :- बिहारी टेकरी गोहद, थाना :- गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 21/03/2017 को घोषित)

01. आरोपी रामलखन सिंह पर धारा - 147, 341/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे गोलम्बर गोहद तिराहे पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठी, डण्डा एवं पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जाम लगाकर आम जनता को उस दिशा में जाने से रोका जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था एवं सदोष अवरोध कारित किया।

02. प्रकरण में अन्य आरोपीगण रिन्कू गुर्जर, राजू, बड़े उर्फ रामकरन, पिकी उर्फ ब्रजमोहन, अच्छन उर्फ गुलाम, अज्जू उर्फ अमीर मोहम्मद, राजेन्द्र मिर्धा, रोशन खां, शैलेन्द्र सिंह, रूबी चौहान, देवेन्द्र उर्फ पुचन उमेश कांकर एवं अन्नू उर्फ अनिल कांकर को निर्णय दिनांक : 08/07/2015 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी लाखन की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण उपशमित हो चुका था।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे गोलम्बर तिराहे पर अज्ञात 500 लोगों द्वारा लाठी, डण्डे एवं पत्थर से सुसज्जित होकर बलवा करने एवं जाम लगाकर रास्ता अवरुद्ध करने की देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी ज्वाला प्रसाद पाराशर उप निरीक्षक पुलिस द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर सुबह 09:20 बजे की जाने पर अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध थाना गोहद पर

अपराध क्रमांक 214/2006 अन्तर्गत धारा 341, 147, 148, 149 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान फरियादी ज्वाला प्रसाद उप निरीक्षक की निशानदेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। फरियादी ज्वाला प्रसाद, साक्षी आरक्षक रमेश सिंह एवं दीनानाथ के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी रामलखन के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 147 एवं 341/149 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपी रामलखन ने 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे गोलम्बर तिराहे पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठी, डण्डा एवं पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
02. क्या आरोपी रामलखन ने उक्त, दिनांक, समय एवं स्थान पर, उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जाम लगाकर आम जनता को उस दिशा में जाने से रोका जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था और आम जनता को सदोष अवरोध कारित किया?
03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. प्रकरण में एफआईआर लेखबद्ध करने वाले तत्कालीन उप निरीक्षक जे.पी.पाराशर की मृत्यु हो जाने की वजह से प्रकरण में उनका साक्ष्य अंकित नहीं किया जा सका है।

09. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में साक्षी रमेश सिंह चौहान अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को थाना गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को थाने पर भबबड़ हुआ था। उस दिन पहले रोकाटाकी हुई थी, फिर टोकाटाकी हुई थी। वह घटना के बाद पहुँचा था, घटना उसके पहुँचने के पहले घटित हो चुकी थी। वह आरोपीगण रूबी चौहान, बड़े उर्फ रामचरन, रोशन, अच्छन, हेमू, राजेन्द्र, पिकी, रिन्कू, राजू, उमेश, शैलेन्द्र, अन्नू, रामलखन एवं देवेन्द्र को जानता है। उक्त आरोपीगण थाने पर पथराव कर रहे थे, बाद में उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वह चला गया था, इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। तत्पश्चात् वह कहता है कि वह एसआई जे.पी.पाराशर को जानता था और काफी समय तक उनके साथ पदस्थ रहने के कारण उनका हस्तलेख तथा हस्ताक्षर पहचानता है। घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 जे.पी.पाराशर द्वारा लेखबद्ध की गई थी, जिनके ए से ए एवं बी से बी भागों पर जे.पी.पाराशर के हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर रमेश अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह मार्च 2004 से थाना गोहद पर लम्बे समय तक पदस्थ रहने के कारण और थाना गोहद के क्षेत्र में गश्त एवं अन्य ड्यूटी करने के कारण कस्बा गोहद के कई लोगों को जानता-पहचानता है। तत्पश्चात् वह कहता है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को ट्रेजरी गोहद पर गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उसने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह दिनांक : 20/11/2006 को दरोगा जे.पी.पाराशर के साथ एल.ओ.ड्यूटी कर रहा था और ड्यूटी करते हुए सुबह 09 बजे गोलम्बर तिराहे पर पहुँचा। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गोलम्बर तिराहे पर उसने देखा कि आरोपीगण ने उसके सामने रोड़ पर चक्काजाम कर दिया है, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसके सामने लाठी डण्डा लेकर गाली-गलौच कर रहे थे। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा कथन न देना व्यक्त किया और कैसे लिख लिया गया, इसका कारण भी वह नहीं बता सकता और स्वतः कहा है कि घटना दिनांक को वह ट्रेजरी गोहद में ड्यूटी कर रहा था, इसलिए वह घटना के बारे में नहीं बता सकता।

10. रमेश अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उसने अभियोजन कथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, वह एक तरफ घटना थाना गोहद की होना बताता है और दूसरी तरफ वह घटना के समय ट्रेजरी गोहद पर ड्यूटी पर होना दर्शित करता है, जो कि विरोधाभास पूर्ण है और वैसे भी अभियोजन कथा के अनुसार घटना गोहद तिराहा गोलम्बर की है, ना कि थाना गोहद की। इसलिए रमेश अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. दीनानाथ अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक : 20/11/2006 को वह थाना गोहद में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह दरोगा जे.पी.पाराशर, आरक्षक रमेश, आत्माराम, मुनीम चन्द्र एवं अन्य फोर्स के साथ एल.ओ. ड्यूटी करने सुबह 09 बजे गोलम्बर तिराहा पर आया था। गोलम्बर पर काफी भीड़-भाड़ थी, पुलिस ने आरोपी लाखन, शैलेन्द्र एवं राजू आदि लोगों को समझाया क्योंकि वह लोग रोड़

पर चक्काजाम कर रहे थे। परन्तु वह लोग समझाने के बाद भी नहीं माने और पुलिस पर पथराव करने लगे। तत्पश्चात् वह दरोगा जे.पी.पाराशर के साथ थाना वापस लौट गया था और पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपना पुलिस कथन प्र.पी.13 देते समय पुलिस को यह बताया था कि जब वह सुबह 09 बजे गोहद गोलम्बर पर पहुँचे तो आरोपीगण एक राय होकर अपने करीब 500 अन्य साथियों के साथ गोलम्बर तिराहा गोहद रोड़ पर जाम किये हुए थे, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जाम की वजह से वाहन एक जगह रुके खड़े थे और आरोपीगण हाथों में लाठी-डण्डा लिये हुए थे।

12. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में दीनानाथ अ.सा.03 का कहना है कि घटनास्थल गोलम्बर के पास काफी दुकानें हैं, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं है कि घटना के समय उक्त दुकानें खुली हुई थी, अथवा नहीं। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दीनानाथ अ.सा.03 का कहना है कि घटनास्थल पर लगभग 500-600 आदमियों की भीड़ थी, जिन्हें वह नहीं जानता था। घटना के समय वह केवल आरोपी राजू जमादार को नाम से जानता था और काफी समय हो जाने के कारण आज वह उसे नहीं पहचान सकता। वह आगे कहता है कि चक्काजाम करने वाली भीड़ ने किन बसों को रोका था और आरोपीगण तथा भीड़ के लोग क्या लिये हुए थे, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षण में पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दीनानाथ अ.सा.03 ने सभी आरोपीगण को पहचानना एवं आरोपीगण द्वारा हाथों में लाठी-डण्डा लिए होना दर्शित किया है। जबकि प्रति परीक्षण में वह केवल आरोपी राजू जमादार को पहचानना दर्शित कर रहा है तथा आरोपीगण क्या लिये हुए थे, इसकी जानकारी न होना दर्शित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 08 में उसने यह बताया है कि वह आरोपीगण में से किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, क्योंकि घटना काफी पुरानी हो चुकी है। यह तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता कि घटना पुरानी हो जाने के कारण व्यक्ति उन लोगों को भूल जाये जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता था। इस प्रकार साक्षी दीनानाथ अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अभियोजन कथा के संबंध में विरोधाभास पूर्ण है और उसका कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. रामकुमार पाठक अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/11/2006 को थाना गोहद पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना गोहद के अपराध क्रमांक [214/06](#) अन्तर्गत धारा 341, 147, 148, 149 भा.द.सं. की विवेचना प्रधान आरक्षक लेखक द्वारा प्राप्त हुई थी और उसने उक्त दिनांक को ही फरियादी ए.एस.आई. जे.पी.पाराशर की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी. 14 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। अन्वेषण के दौरान उसने फरियादी जे.पी.पाराशर का कथन दिनांक : 23/11/2006 को तथा साक्षी आरक्षक रमेश एवं दीनानाथ के कथन दिनांक : 29/11/2006 को उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। जिनमें अपनी ओर से कुछ भी बढ़ाया-घटाया नहीं था। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 02 में रामकुमार अ.सा.04 का कहना है कि घटनास्थल के आस-पास बाजार एवं दुकानें हैं, लेकिन उसने बाजार एवं दुकानों को नक्शा-मौका में दर्शित नहीं किया और जे.पी.पाराशर के अलावा

किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नक्शा-मौका पर नहीं कराये। वह आगे कहता है कि कोई अन्य व्यक्ति बुलाये जाने पर भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, उसने स्वतंत्र साक्षियों को नक्शा-मौका पर हस्ताक्षर करने के लिए मौखिक रूप से बुलाया था, परन्तु वह नहीं आये। लेकिन उसने इस वावत् कोई रिमार्क नक्शा-मौका में अंकित नहीं किया। वह आगे कहता है कि वह उन साक्षीगण के नाम नहीं बता सकता कि जिन्हें उसने नक्शा-मौका पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया था।

14. प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 03 में रामकुमार अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साक्षी रमेश एवं दीनानाथ विवेचना के समय उसके साथ थाना गोहद पर पदस्थ थे। लेकिन उसने केश डायरी प्राप्त होने के 07 दिवस पश्चात् उनके कथन लेखबद्ध क्यों किये, इसका कोई कारण नहीं बता सकता, क्योंकि घटना पुरानी है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रामकुमार अ.सा.04 का कहना है कि उसने घटनास्थल के आस-पास स्थित दुकानों के दुकानदारों के कोई कथन विवेचना के दौरान अंकित नहीं किये। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 06 में उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी जे.पी.पाराशर ने उसके कथन एवं एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम अंकित नहीं कराया है, केवल 500 लोगों की भीड़ होने का उल्लेख किया है। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 08 में वह कहता है कि उसे आरोपीगण के नाम की जानकारी दिनांक : 29/11/2006 को साक्षीगण के बयान अंकित करने के बाद अर्थात् साक्षी दीनानाथ एवं रमेश के कथन अंकित करने के बाद हुई थी, वह आगे कहता है कि साक्षीगण ने उसे यह नहीं बताया था कि वह आरोपीगण को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, अथवा नहीं। प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 10 में इस साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साक्षी रमेश एवं दीनानाथ ने उसे दिये गये कथन में आरोपीगण के पिता का नाम या पता नहीं बताया था और वह यह नहीं बता सकता कि आरोपीगण के नाम के कई अन्य व्यक्ति नगर गोहद में हो सकते हैं, अथवा नहीं।

15. उल्लेखनीय है कि एफआईआर 500 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई है, यदि एफआईआर लेखक/कर्ता जे.पी.पाराशर आरोपीगण को व्यक्तिगत रूप से नाम से जानता होता तो वह नामजद एफआईआर लेख करता और अपने पुलिस कथन में दिनांक : 23/11/2006 को भी आरोपीगण के नाम बताता, जो कि उसके द्वारा नहीं बताएं गये। एफआईआर अज्ञात 500 लोगों के विरुद्ध लेखबद्ध की गई और अभियोग पत्र 16 लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त 16 लोगों की पहचान कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कथित रूप से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी रमेश अ.सा.01 ने अभियोजन कथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी दीनानाथ अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पद क्रमांक 08 में यह दर्शित किया है कि वह आरोपीगण में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रकरण में आम जनता के किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया। अभियोजन साक्षी रमेश अ.सा.01 घटनास्थल थाना गोहद का होना बताता है, जबकि दीनानाथ अ.सा.03 घटना गोहद गोलम्बर तिराहे की होना बताता है, इस प्रकार उक्त कथित चक्षुदर्शी साक्षियों के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा लाठी-डण्डे एवं पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन करना और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा

का प्रयोग करने तथा घटनास्थल पर जाम लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर देने के संबंध में अभियोजन साक्ष्य गंभीर विरोधाभास से पूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है और संदेहपूर्ण है और संदेह कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता।

16. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक 20/11/2006 को सुबह लगभग 09:05 बजे गोलम्बर तिराहे पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठी, डण्डा एवं पत्थरों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जाम लगाकर आम जनता को उस दिशा में जाने से रोका जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था और आम जनता को सदोष अवरोध कारित किया।

17. अभियोजन आरोपी रामलखन के विरुद्ध धारा 147 एवं [341/149](#) भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 147 एवं [341/149](#) भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

18. अभियुक्त रामलखन की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में आरोपी हेमू उर्फ हेमंत को फरार घोषित कर उसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया है, उक्त आरोपी के संबंध में अभियुक्त परीक्षण एवं निर्णय शेष है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जाये कि प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद